जेडीए बनाम गीता विजय
प्रकरण संख्या : 45/2022 (सी.आई.एस न. 54/2022)

दिनांक :– 05-08-2026

विद्वान अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्ता गीता विजय उपस्थित। अभियुक्ता की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री विजय कुमार सोनी ने जुर्मस्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया, जो शामील पत्रावली रहे।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्ता गीता विजय ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म स्वीकारोक्ति की है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों को सही होना स्वीकार किया है। अतः अभियुक्ता गीता विजय को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 31(1), 32(7) व 33(2) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010) के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

अभियुक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्ता को परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्ता को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है।

परिणामतः अभियुक्ता गीता विजय को धारा 31(1), 32(7) व 33(2) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010) के आरोप में दोषसिद्ध करार दिया जाकर अभियुक्ता को जविप्रा अधिनियम की धारा 31(1) में 25,000/– रूपये अर्थदण्ड, जविप्रा अधिनियम की धारा 32(7) में 25,000/– रूपये अर्थदण्ड तथा जविप्रा अधिनियम की धारा 33(2) में 30,000/– रूपये अर्थदण्ड, इस प्रकार अभियुक्ता को कुल 80,000/– रूपये (अक्षरे अस्सी हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्ता प्रत्येक धारा में 07–07 दिन का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगी।

आदेश आज दिनांक 05.08.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मोनिका खीचड़)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2,
(विशिष्ठ न्यायालय) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अभियुक्ता ने कुल जुर्माना राशि 80000/–रूपये (अक्षरे अस्सी हजार रूपये मात्र) अदा किये। रसीद संख्या **68/30** दी। जुर्माना राशि जेडीए कोष में जमा करायी जावे। अभियुक्ता ने अन्तर्गत धारा 437(ए) के 10,000/– रूपये के जमानत मुचलके आदेशानुसार पेश किये, जो बाद जाँच न्यायालय तस्दीक किये गये। शामिल मिसल रहे। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(मोनिका खीचड़)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2,
(विशिष्ठ न्यायालय) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर